ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 38-39**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

भारतीय शासन व्यवस्था में सशक्तिकरण की अवधारणा

डॉ0 माधव प्रसाद पांडेय
अखिलभाग्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानापार, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-01.01.2026, Revised-08.01.2026, Accepted-13.01.2026 **E-mail: madhavpandeyg@gmail.com**

सारांशः सशक्तिकरण से आशय केवल शक्ति के अधिग्रहण की क्षमता के विकास से नहीं है, अपितु शक्ति को सुरक्षित रखने प्रयुक्त तथा उपभोग करने की क्षमता के विकास से भी है, अर्थात सशक्तिकरण का अर्थ किसी निर्बल सामाजिक इकाई उसके सभी क्षेत्रों में यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इकाई के निर्णय निर्धारक शक्तियों का विकास होता है। सशक्तिकरण एक क्रांतिकारी विचार है, जिसका तात्पर्य मात्र सैद्धांतिक रूप से महिलाओं के लिए अधिकारों एवं सुविधाओं के निर्माण से नहीं है, वरन् इन अधिकारों के प्रयोग द्वारा महिलाओं के व्यक्तित्व विकास एवं राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में योगदान से भी है। महिला सशक्तिकरण एक बहु आयामी प्रक्रिया है, जो महिलाओं को आत्म निर्देशित करने के लिए प्रेरित करती है। यह पुरुष संप्रभुत या महिला संप्रभुता की जगह समाज में पुरुष व महिलाओं के बीच शक्ति एवं सत्ता के न्यायपूर्ण वितरण अथवा दोनों के समानता के आधार पर सत्ता में सामंजस्यपूर्ण भागीदारी पर जोर देती है और महिलाओं को शक्ति प्राप्त करने के प्रति जागरूक बनती है। यह समझ में भौतिक, वैचारिक व सूचनागत संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच और इन पर उनके नियंत्रण को सुगम बनती है।[1]

कुंजीभूत शब्द– भारतीय शासन व्यवस्था, सशक्तिकरण, निर्बल सामाजिक इकाई, व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय विकास, क्रांतिकारी, संप्रभुता।

महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य मात्र महिलाओं और पुरुषों के पुरुषों के अनुक्रमात्मक संबंधों में बदलाव लाना ही नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य समाज के समस्त अनुक्रमों यथा वर्ग, जाति और श्रेणी संबंधों में बदलाव लाना है। महिला पुरुष संबंध शून्य में नहीं संचालित होते, क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित और प्रभावित होते है, इसलिए अन्य व्यवस्थाओं और अनुक्रमों में बदलाव लाए बिना महिला पुरुष अनुक्रमों में बदलाव नहीं लाया जा सकता।

मानव समाज में संसाधन और विचारधारा पर नियंत्रण करने वालों के पास शक्ति होती है। जिन लोगों के पास संसाधन और विचारधारा पर नियंत्रण होता है वे लोग देश के लिए निर्णय लेते।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को संसाधनों प्राकृतिक बौद्धिक वित्तीय आंतरिक संसाधन पर नियंत्रण प्रदान करने, पितृसत्तात्मक चिंतन में बदलाव लाने महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिका में लाने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का आशय दूसरों पर अधिकार स्थापित करना ना होकर अस्तित्व का सामर्थ्य होना है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को पराधीन रखने वाले विचारधाराओं को बदलकर महिलाओं के योग्यताओं में वृद्धि करती है। महिला सशक्तिकरण सतत् और गतिशील दोनों तरह की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उन्हें संसाधनों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में नियंत्रण करने और ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य समाज के समस्त अनुक्रमों यथा वर्ग, जाति और श्रेणी संबंधों में बदलाव लाना है। महिला पुरुष संबंध शून्य में संचालित नहीं होते हैं। इसलिए अन्य व्यवस्थाओं और अनुक्रमों में बदलाव लाए बिना महिला, पुरुष अनुक्रमों में बदलाव नहीं लाया ला सकता।

महिलाओं की सशक्तिकरण की अवधारणा को व्यापक बनाना है, तो ऐसा सभी स्तरों पर किया जाना चाहिए। बुनियादी व माध्यमिक स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं, सरकार में मौजूद महिला राजनीतिज्ञों, महिला उद्यमियों, महिला शिक्षाविदों, महिला कलाकारों आदि के बीच प्रभावी नेटवर्किंग की आवश्यकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण दो तरफा प्रक्रिया है, जिसमें हम सशक्त बनाते हैं और सशक्त होते हैं।[2]

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की आधी आबादी स्त्री है। जब हम आधी आबादी को सामाजिक अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित रखेंगे, तो हमारा आधा समाज मूक पशु ही होगा। महादेवी वर्मा ने कहा था कि समाज में सम्मान वही प्राप्त कर सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क का समान विकास हो[3] और इसके लिए उसे नागरिकता विषयक ज्ञान, राजनीतिक व सामाजिक अधिकार संपत्ति का स्वामित्व शासन व्यवस्था में स्थान और स्वयं अपनी शक्तियों का आभास होना परम आवश्यक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि नारी स्वभाव में कोमलता के कारण जो दुर्बलता छिप गई है, वही उसके शरीर में सुकुमारता बन गई है। अब वह सुकुमारता को अपना अलंकार समझती है। इसलिए उसे त्यागना नहीं चाहती है। स्त्री अपनी इच्छा, प्रयत्न और आत्मनिर्भरता से ही मनुष्य की श्रेणी में आ सकती हैं।

पितृसत्ता समाज की जीवन शैली है और मूल्यों की जननी है। पितृसत्तात्मक मूल्य व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष नारीवादी चिंतन की केंद्रीय विशेषता है।[4] इस प्रणाली में लिंग असमानता के कारण महिलाओं में क्षमता प्रवचन का उदय हुआ। जिसके वजह से नारी समाज में शोषित व दलित जिंदगी गुजरती हैं। पुरुषों ने अपनी जैविक विशिष्टता की वजह से हमेशा स्वयं को सर्वोच्च सत्ता के रूप में रखा और आज तक रखता चला आ रहा है। सैकड़ो वर्षो से चली आ रही पितृसत्तात्मक विचारधारा के कारण ही स्त्रियों को दोयम दर्जे का स्थान मिला है। स्त्रियों को संपत्ति, शिक्षा, सत्ता, राजनीति व सामाजिक अधिकारों से वंचित होना पड़ा। लंबा संघर्ष करने के बाद स्त्रियों को संपत्ति व शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार मिले हैं, किंतु पितृसत्तात्मक विचारधारा का वर्चस्व अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। सत्ता, उद्योग विश्वविद्यालयों, तकनीकी, विज्ञान, सेना, राजनीतिक दफ्तर, पुलिस, अदालतों में अभी भी समस्त अधिकार प्रायः पुरुषों के हाथ में है। अपनी अस्मिता का पुरुष स्वयं निर्माता है किंतु स्त्री को हक नहीं है। स्त्री ने जब अपने लिए स्पष्ट अभिव्यक्ति सार्वजनिक जीवन में स्थान, स्वतंत्र पहचान, लिखने की कोशिश की, लज्जा त्याग कर शहर शैली में व्यवहार शुरू किया। उसे अपराधीन पापिन जैसे विशेषणों से सुशोभित किया गया। मध्यकाल में राज्य एवं उसके संस्थान पुरुषवादी संस्था के पक्ष में खुलकर खड़े थे, वही आधुनिक काल में न्याय व राज्य व्यवस्था ने स्त्री को घोषित रूप से संरक्षण प्रदान किया व सामंती निषेधों को कानूनी तौर पर अस्वीकृति प्रदान की। इससे स्त्री चेतना के विकास में मदद मिली।[5]

- महिलाओं के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण कानून
- घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोक–थाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम 2013
- बाल विवाह निरोधक (संशोधन) अधिनियम 1976
- कारखाना अधिनियम 1948, बागान– श्रम अधिनियम 1951 तथा खान अधिनियम 1952
- महिलाओं का अशिष्ट निरूपण (निषेध)अधिनियम 1986
- अनैतिक व्यापार (निवारण) संशोधन विधेयक 2006
- महिलाओं एवं लड़कियों का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956
- दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम 1961
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
- घरेलू कामगार कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2010
- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994
- सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम 1887
- परिवार न्यायालय (1984 में अधिनियम पारित)
- चिकित्सक की गर्भावस्था समापन अधिनियम 1971
- प्रसूति लाभ अधिनियम 1961

न्यूयॉर्क शहर में 8 मार्च 1912 का 32000 महिलाओं ने जब रोटी और गुलाब का नारा लगाते हुए काम के घंटे को कम करने, मताधिकार, सामान मजदूरी, बाल श्रम उन्मूलन की मांग के साथ मार्च किया था, तो किसे पता था कि यह ऐतिहासिक दिन ''अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' के रूप में बदलकर बराबरी के संघर्ष का प्रतीक बन जाएगा। इतिहास का यह महत्वपूर्ण दिन मातृसत्तात्मक व्यवस्था से लेकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था तक के भीतर एक ऐसा संघर्ष शुरू करेगा, जो 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति के महान नारे स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व से आने वाले दिनों में 'बंधुत्व' खारिज करके बहनापा शब्द के माध्यम से उस जन–भावना को वाणी देगा। 21वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ऐसा सवाल खड़ा कर देगा, जो इतिहास, वर्तमान और भविष्य की ओर देखने की पचास फ़ीसदी आबादी के लिये नए भाग्य लेख के संघर्ष का आगाज कर देगा। मातृसत्तात्मक व्यवस्था में समानता के हक के लिए जो महिलाएं संघर्ष कर रही थी। वह एक अंतहीन गुलामी की के बेडी में डाल दी गई, लेकिन फिर वह अपनी राख से जी उठेंगी और समानता के संघर्ष के लिए नए तरह से आगाज कर बैठेंग ी यह इतिहास विधाता भी नहीं जानता था.6

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. माथुर, डॉ. प्रियंका, महिला सशक्तिकरण, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, द्वितीय संस्करण–2023, पृ. 1.
2. योजना पत्रिका, नई दिल्ली– 110003, सितंबर 2016, पृ. 10.
3. सिंह डॉ. श्रद्धा, आधी आबादी, संदर्भ एवं प्रसंग, कला मंदिर,दिल्ली– 110006, प्रथम संस्करण, 2014 पृष्ठ 7.
4. खेतान डॉ. प्रभा स्त्री उपेक्षिता हिंदी पाकेट बुक्स, नई दिल्ली– 110003,2002 पृ. 60.
5. यादव डॉ. वीरेंद्र, 21वीं सदी का महिला सशक्तिकरण मिथक एवं यथार्थ, ओमेगा पब्लिकेशंस नई दिल्ली– 110002, प्रथम संस्करण 2010, पृ. 23.
6. सिंह डॉ. श्रद्धा, आधी आबादी,संदर्भ एवं प्रसंग, कला मंदिर,दिल्ली– 110006 प्रथम संस्करण, 2014, पृ. 1.

*****